देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

# JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/aakrosh/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2020

## क्या पुलिस कि मर्जी के बगैर मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से बच सकता है??

### एक साल पहले वैशालीनगर थाने में दुष्कर्म पीडिता द्वारा की गयी आत्महत्या का मामला

भाग-2

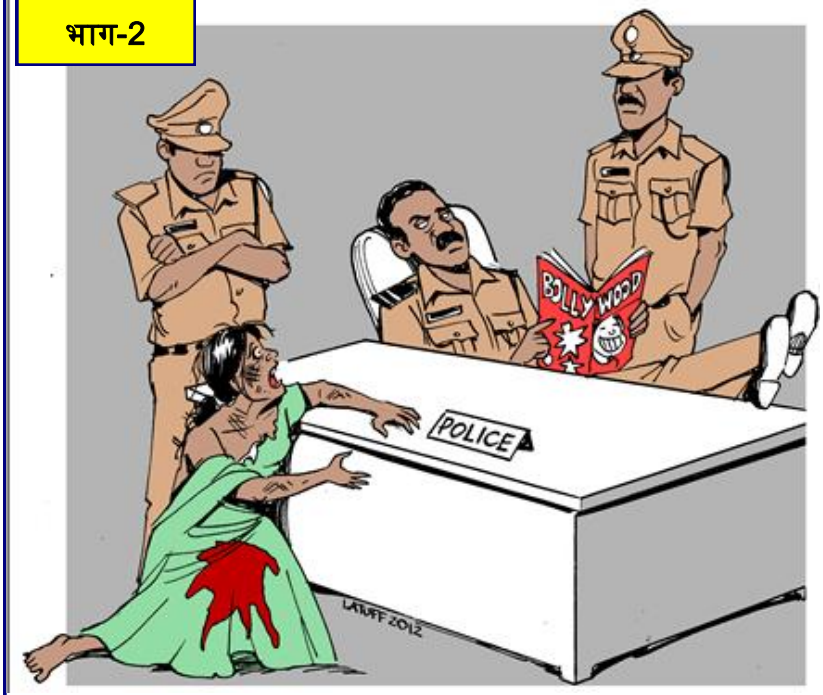


### पिछले साल वैशाली थाने में दुष्कर्म पीडिता ने की थी आत्महत्या

पिछले साल दुष्कर्म पीडिता द्वारा वैशालीनगर पुलिस थाने में आत्महत्या करने का मामला सुर्ख़ियों में आया था|पहले तो पुलिस ने इस मामले में लीपापोती कर इस मामले को दुष्कर्म पीडिता और दुष्कर्मी के बीच आपसी सहभागिता बता कर मामले को दबाने कि कोशिश की परन्तु सामाजिक संगठनों के दबाव में पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी और तत्कालीन SHO संजय गोदारा को निलंबित किया गया,साथ ही मामले की जांच CID-CB को सौंप दी गयी|

### CID-CB ने दर्ज की FIR संख्या 632/19

CID-CB द्वारा दुष्कर्म पीडिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के विरुद्ध FIR संख्या 632/19 दर्ज कर जांच शुरू की एवं प्रकरण के सम्बन्ध में हर पहलु पर जांच पड़ताल कर दुष्कर्मी रविन्द्र सिंह शेखावत को मुजरिम मान कर अग्रीम कार्यवाही हेतु मूल पत्रावली वैशालीनगर थाने को सौंप दी|

### वैशालीनगर पुलिस का फिर इस मामले में अपराधियों से गठजोड़ उजागर,मुख्य आरोपी रविन्द्र सिंह शेखावत लम्बे अरसे से फरार

वैशालीनगर पुलिस का फिर इस मामले में अपराधियों से गठजोड़ उजागर हुआ है और मामले को जबरदस्ती लंबित किया जा रहा है|CID-CB द्वारा अनुसन्धान पेश किये कई महीनों गुजर चुके है परन्तु वैशालीनगर पुलिस अभी तक चालान पेश नहीं कर पायी है|पुलिस के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी रविन्द्र सिंह शेखावत फरार चल रहा है,पुलिस के अनुसार उसके घर और रहने के ठिकानों पर दबिश दी गयी है|परन्तु मुजरिम के तगड़े रसुखातों के चलते दबिश की पहले ही भनक लग जाने से वह फरार हो जाता है|


*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

## इसी मामले में दर्ज FIR संख्या 383/19 में हो चूका है गिरफ्तार,जमानत पर रिहा होकर हुआ फरार

दुष्कर्म पीडिता से दुष्कर्म मामले में रविन्द्र सिंह शेखावत FIR संख्या 383/19 में गिरफ्तार हो चूका है और 6 महीने कि जेल काटने के बाद जमानत पर रिहा किया गया है|परन्तु इस मामले में आरोपी बना देने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गयी है|

## पुलिस के रवैये को देखते हुए लगता है कि बिना गिरफ़्तारी चालान पेश नहीं करेगी पुलिस

वैशालीनगर पुलिस और अपराधियों की सांठ गाँठ के चलते अंदेशा है कि वैशाली नगर पुलिस बिना गिरफ़्तारी इस मामले में चालान पेश नहीं करेगी|क्यूंकि शोले फिल्म का डायलोग है ना कि ***जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी|*** यदि पुलिस ने इसे गिरफ्तार ही कर लिया तो फिर यह मुजरिम बचने के पैसे क्यों देगा?अब जब तक मुजरिम को लम्बे समय तक बचना है उसे उसी हिसाब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे|

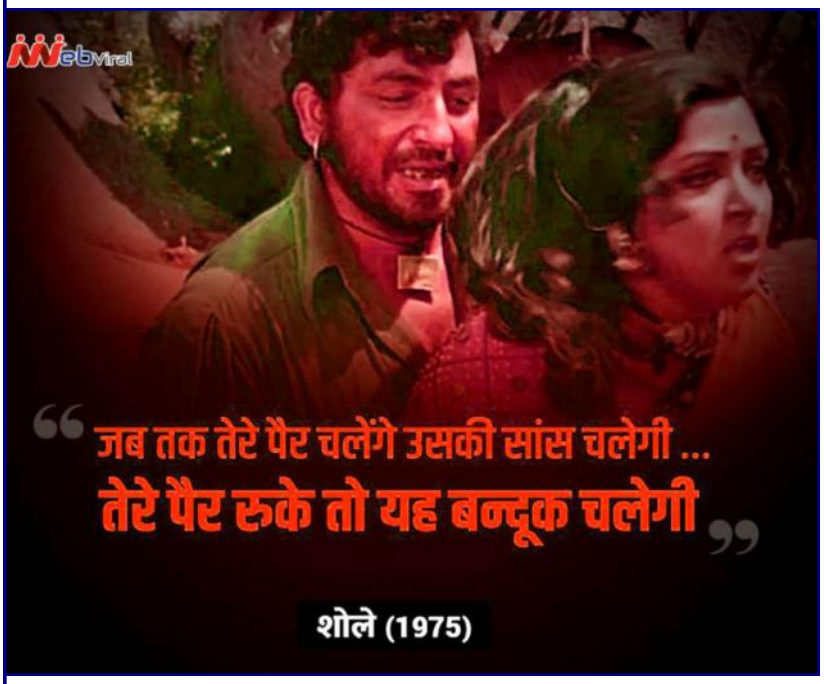

# राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल



राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मंगलवार को वैशाली नगर थाने में आत्मदाह के प्रकरण की जानकारी जुटाने जयपुर पहुंची। सदस्या डॉ. राजुल देसाई अपनी टीम के साथ पुलिस आयुक्त से मिली और बलात्कार के मामले की एफआइआर और उस पर की गई जांच की जानकारी ली। आयुक्त से चर्चा के बाद टीम ने मृतका के पति व बहन से भी बात की। देसाई ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार व पुलिस गंभीर नहीं है। बलात्कार पीड़िता के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ था, जो उसे मजबूरन थाने में जाकर आत्मदाह करना पड़ा। देसाई ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक राज्य में महिला आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं की।

**पुलिस ने किया गलत**

**सदस्या** ने कहा एक दिन पहले जयपुर पुलिस ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीड़ित महिला की जानकारी सार्वजनिक की, वह बेहद निंदनीय है। पुलिस कौन होती है किसी के चरित्र पर सवाल उठाने वाली। पुलिस ने तो पीड़िता को ही गलत ठहरा दिया। दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हो।

**शांतिपूर्ण रहा बाजार बंद:** घटना के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना, वैशाली नगर व्यापार मंड अध्यक्ष ललित सिंह व खातीपुरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर के वैशाली नगर व खातीपुरा के बाजार बंद करवाए।

## कहाँ गयी केन्द्रीय महिला आयोग?

एक दुष्कर्मी महिला द्वारा थाने में आत्महत्या करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए, केन्द्रीय महिला आयोग द्वारा घटना के बाद राजधानी का दौरा कर पुलिस कि कार्य प्रणाली पर सवाल उठाये थे|परन्तु लगता है कि पुलिस को फटकार लगाने के बाद केन्द्रीय महिला आयोग भी गहरी नींद में सो गयी है|घटना के एक साल से अधिक होने के बावजूद इस प्रकरण में केन्द्रीय महिला आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना यह बताता है कि सिस्टम से जुड़े अधिकतर व्यक्ति केवल लाईमलाईट में आने के लिए इस प्रकार का दिखावा करते है और फोटो खिंचाने के बाद पूरे सीन से गायब हो जाते है|